

पटना में दिनांक-11 जनवरी, 2020 शनिवार को अपराहन 12:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 1. | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, के अंतर्गत अवर वन सेवा नियमावली, 2013 के परिशिष्ट "क" की कंडिका-6(ii) एवं (iii) एवं परिशिष्ट "ख" की कंडिका-7(ii) एवं (iii) को संशोधित करते हुए बिहार अवर वन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019 की स्वीकृति के संबंध में। | 1. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

सामान्य प्रशासन विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 2. | बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना में पदसृजन संबंधी स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 9910 दिनांक 28.06.2013 की कंडिका-4 के क्रम-संख्या 1 में "परामर्शी" के सम्मुख स्तम्भ VI एवं VII को संशोधित किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। | 2. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

(सिविल विमानन निदेशालय)

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 3. | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (सिविल विमानन निदेशालय) के स्वामित्व वाली पटना हवाई अड्डा स्थित 8.65 एकड़ भूमि पर नवीकरण कार्य (Renovation work) हेतु वायुयान संगठन के लिए दो हैंगर, प्रशासनिक भवन तथा अतिविशिष्ट कक्ष के साथ ही साथ बिहार उड्डयन संस्थान के लिए एक हैंगर, प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक भवन, एप्रोच पथ एवं एप्रोन आदि का निर्माण कार्य भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹61.57 करोड़ (एकसठ करोड़ सन्तावन लाख रूपये) मात्र की नई राज्य स्कीम के लिए प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। | 3. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

जल संसाधन विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 4. | बलवाघाट बराज-सह-सिंचाई योजना की प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि रु० 107.12444 करोड़ (एक अरब सात करोड़ बारह लाख चौवालिस हजार चार सौ) मात्र के व्यय हेतु निर्गत स्वीकृत्यादेश में निर्धारित नाबार्ड शीर्ष विपत्र कोड 49-4700800510104 के स्थान पर योजना के अवशेष कार्य का व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 से राज्य योजना अन्तर्गत शीर्ष/विपत्र कोड से भारित करने की स्वीकृति का प्रस्ताव। | 4. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

5. अररिया जिला में स्थापित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, अररिया का नाम 'श्री फणीश्वर नाथ रेणु अभियंत्रण महाविद्यालय, अररिया' रखे जाने के संबंध में। 5. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

6. "केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985" की धारा-4(2) के तहत बिहार प्रशासनिक न्यायाधिकरण के गठन संबंधी अधिसूचना निर्गत करने हेतु भारत सरकार को अनुरोध-पत्र भेजे जाने की स्वीकृति के संबंध में। 6. स्वीकृत।

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

8. बिहार राज्य में मद्यनिषेध के कारगर क्रियान्वयन हेतु अपराध अनुसंधान विभाग में पुलिस अवर निरीक्षक के स्वीकृत 259 पद में से 50 पद को प्रत्यावर्तित कर पुलिस निरीक्षक के 30 पद वेतन स्तर-7 में सृजित करने की स्वीकृति के संबंध में। 8. स्वीकृत।

गृह विभाग

(अभियोजन निदेशालय)

9. "बिहार गवाह सुरक्षा योजना, 2018" के प्रारूप पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में। 9. स्वीकृत।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

10. वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत सरकार द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देश एवं स्वीकृत कार्य योजना के अनुरूप बिहार राज्य के कुल 27 वन प्रमंडलों में वनरोपण कार्य एवं रख-रखाव, मृदा जल संरक्षण, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कार्य, वन्य प्राणी के सुरक्षा, संरक्षण एवं सम्बर्द्धन का कार्य एवं महिला रक्षा वाहिनी के मानदेय आदि पर व्यय तथा राज्य कैम्पा प्राधिकरण, पटना के मुख्यालय स्तर पर कतिपय कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कुल रूपये 14018.13 लाख (एक सौ चालीस करोड़ अठारह लाख तेरह हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति का प्रस्ताव। 10. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

11. डा० धनंजय कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मच्छहट्टा, अमौर, पूर्णियाँ को दिनांक 01.04.2005 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। 11. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

12. डा० मो० रिजवान आलम, चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, बरारी, कटिहार को दिनांक 29.11.06 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। 12. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

13. बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के अधीन निर्मित होने वाले पुल परियोजनाओं के लिए भू-अधिग्रहण में हो रही कठिनाई को देखते हुए भू-अर्जन की कार्रवाई के त्वरित निष्पादन हेतु बिहार प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को संविदा के आधार पर अनुश्रवण पदाधिकारी (भू-अर्जन) का 4 (चार) पद सृजन एवं उनके चयन हेतु प्रबन्ध निदेशक के अध्यक्षता में गठित चयन समिति की स्वीकृति के संबंध में। 13. स्वीकृत।

विधि विभाग

15. न्यायमंडल, सुपौल के अधीन अनुमंडलीय न्यायालय, वीरपुर में एक अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के लिए कुल-8(आठ) अराजपत्रित कर्मियों के पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। 15. स्वीकृत।

विधि विभाग

16. बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के लिए पटना उच्च न्यायालय, पटना में कार्यरत माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश कुमार सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करने के संबंध में। 16. स्वीकृत।

विधि विभाग

17. राज्य में उत्पाद अभियोगों के त्वरित निष्पादन हेतु गठित किए जाने वाले 74(चौहत्तर) अनन्य विशेष न्यायालय (उत्पाद) हेतु सृजित किए जा रहे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 74 (चौहत्तर) पदों के सहायतार्थ विभिन्न कोटियों के कुल 666 अराजपत्रित पदों के सृजन के संबंध में। 17. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

18. श्री उपेन्द्र नाथ पाण्डेय, विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को उनकी समाप्त हो रही संविदा अवधि की तिथि 31.01.2020 के पश्चात् उसी पद के विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-10000, दिनांक-10.07.2015 की कंडिका-3 (i) के परन्तुक को शिथिल करते हुए संकल्प के अन्य प्रावधानों के आलोक में योगदान की तिथि से अगले 01 (एक) वर्ष या नियमित पदस्थापन होने तक (जो पहले हो) के लिए नियोजन अवधि का विस्तार करने के संबंध में।

18. स्वीकृत।